फरीदाबाद

मजदूर समाचार

अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

'मजदूर समाचार' की कुछ सामग्री अंग्रेजी में इन्टरनेट पर है। देखें–
< http://faridabad majdoorsamachar.blogspot.in >

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001

नई सीरीज नम्बर **327** *1/–* *सितम्बर* **2015**

समय है

कागजों की भूलभुलैया ने मुझ, रामसागर को कुछ समझाया है। मैं और मेरे साथ काम करते हजारों अन्य साथी तीस साल तक समझते थे कि हम एक कपड़ा मिल के मजदूर हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद 1992 में मैंने श्रम न्यायालय में केस दायर किया। कुछ परतें खुली। कागजों में एक की बजाय कई कम्पनियाँ उजागर होने लगी। सात साल बाद, 1999 में लेबर कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के फैसले का पालन करने कोई नहीं आया। दो वर्ष बीत गये, पाँच वर्ष बीत गये, 2005 आ गया तब तक पता चल चुका था कि एक नहीं बल्कि 17 कम्पनियाँ हैं जिन्हें एक कपड़ा मिल कहा जाता है। समन जाते रहे, वारन्ट जारी होते रहे। कपड़ा मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है, रामसागर तो दूसरी कम्पनी में है। हमें समझ में आया है कि फैक्ट्री किसी की नहीं होती, फैक्ट्री का कोई मालिक नहीं है। दस्तावेजों में नाम बदलते रहते हैं, बढते रहते हैं।

मालिकाना एक नकाब है, एक आवरण है और मालिक कोई नहीं है।

जुलाई 2012 तक ही अस्पतालों के लिये उपकरण बनाने वाली कम्पनी की मैनेजमेन्ट कम्पनी की पाँच फैक्ट्रियों से कई महीनों से लापता थी। ऐसी कई फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें मैनेजमेन्ट गायब है अथवा नाममात्र की है। मैटल फैब्रिकेशन फैक्ट्री में अब हम नारे नहीं लगाते, मैनेजरों से विवाद नहीं करते, हम अपने तीन टी-ब्रेक के दस-दस मिनट को आधा-आधा घण्टा कर रहे हैं। सुपरवाइजर और मैनेजर इधर-उधर भटकते रहते हैं और हम से दूरी रखते हैं। नवम्बर 2012 में जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में 400 महिला और 400 पुरुष मजदूरो ने मैनेजिंग डायरेक्टर को घेर लिया। पुलिस बुलाई गई, कई घण्टों की जद्दोजहद के बाद 200 पुलिसवालों ने पानी की तोपों और लाठियों की मदद से रात 9 बजे मैनेजिंग डायरेक्टर को मजदूरों के घेरे से निकाला।

अगर कभी कहीं कोई सहमति थी भी तो वह टूट चुकी है। यह ज्ञापन का, आवेदन का दौर नहीं है। यह समय सक्रिय प्रेरक उत्तेजनाओं को, ऊजाओं को आकार और गति देने का है।

नवम्बर 2014 में एक इलेक्ट्रोनिक ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे हम सब मजदूर सुबह 6 बजे फैक्ट्री पहुँचे। पुलिस, बाउन्सरों, ठेकेदारों, और मैनेजरों ने हमें फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दिया। फैक्ट्री गेट से 150 मीटर दूर हम ने तम्बू लगाया। न्यायालय का ऐसा आदेश था। विभिन्न प्रकार के नेता हमारे पास पहुँचे। हम ने सब को मंच दिया पर इस शर्त के साथ कि हम सुनेंगे सब की पर करेंगे अपनी।

एक लीडर मंच से बोला कि हम उसके संगठन से जुड़ें। वह हमारी लड़ाई लड़ेगा। हम ने उन्हें समझाया कि आपके आने का स्वागत है पर हम ने जाना है और समझा है उस काण्ड को जो आपने दूसरी फैक्ट्री में किया है। इसलिये नमस्ते। और एक नेता बहक गये और सरकार द्वारा लाये जा रहे नये कानूनों का भय दिखाने लगे। उनकी आयु का लिहाज करके हम ने आदर से उन्हें कहा कि आज जो कानून हैं उनका तो कोई नामलेवा है ही नहीं, आगे आने वाले कानूनों की आड़ में आज के कदमों को क्यों टालें।

मंच पर कौन बोले इस पर चर्चा होती रहती है। एक ग्रुप का जब बोलने लगा तब दूसरे ग्रुप के बोले कि इसे मंच से नहीं बोलने दिया जाये। हम ने इसका तीखा विरोध किया और कहा कि यह मंच ठेकेदारों के जरिये रखे गये हम मजदूरों का है, कौन बोले और कौन नहीं बोले यह हम तय करेंगे। सुनते हैं हम सब की और करते हैं अपनी सोच-समझ के अनुसार।

हमारा विरोध लम्बा खिंचता गया। मार्च 2015 तक हम ने तय किया और हम औद्योगिक क्षेत्र की अलग-अलग फैक्ट्रियों में लग गये, फैल गये। हम ने अपने बीच सक्रिय तालमेल बना कर रखे हैं। हम अपने फैले हुये कार्यस्थलों पर आदान-प्रदान, विचार-विमर्श जारी रखेंगे और बिचौलियों को, नेताओं को हमारे रिश्तों के बीच नहीं आने देंगे। ***हम अकेले-अकेले भी, छोटी टोलियों में भी और बड़ो समूहों में भी नई सोच तथा नये कदमों के वाहक भी हैं और प्रस्थान-बिन्दू भी हैं।*** ■

असंगत बन गये है

कानूनों का उल्लंघन सामान्य बन गया है। कानूनों का पालन अपवाद बन गया है। कानूनों का कार्य नहीं कर पाना, कानूनों का नाकारा हो जाना, कानूनों का असंगत बन जाना एक लक्षण है। यह इस बात का लक्षण है कि जिन सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर कानून खड़े हैं वे सामाजिक सम्बन्ध कार्य नहीं कर पा रहे, वे सामाजिक सम्बन्ध नाकारा हो गये हैं, वे सामाजिक सम्बन्ध असंगत हो गये हैं। सामाजिक सम्बन्ध और उसके कानूनों का असंगत होना नये सामाजिक सम्बन्ध की आवश्यकता की अभिव्यक्ति भी है, नये सामाजिक गठन की पूर्ववेला भी है। ऊँच-नीच, मण्डी-मुद्रा, खरीद-बिक्री, हानि-लाभ, रुपये-पैसे, मजदूरी-प्रथा वाले सामाजिक सम्बन्ध की जगह क्या ? विश्व के सात अरब लोगों में इस पर मन्थन हो रहा है। हमें लगता है कि फैक्ट्री मजदूरों की इस सामाजिक मंथन में उल्लेखनीय भूमिका है। इस सन्दर्भ में आदान-प्रदान बढाने में मजदूर समाचार योगदान देने के लिये फैक्ट्री मजदूरों की बातों को प्रकाशित करता है।

थीम एक्सपोर्ट मजदूर : '' डी-5 ओखला फेज-1, दिल्ली स्थित फैक्ट्री में हर महीने मजदूर काम बन्द करते हैं और उत्पादन रुके एक घण्टा हो जाता है तब तनखा देते हैं, हर महीने देरी से देते हैं। यहाँ स्टाफ के 100 लोग शायद स्थाई होंगे, ठेकेदार कम्पनी के जरिये रखे हैं सब 1000 मजदूर। सुबह 9½ से रात 8½ तक रोज काम और रात 1 बजे तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी किसी मजदूर को नहीं देते – हैल्परों की तनखा 6500 रुपये और सिलाई कारीगरों की 9-9½ हजार रुपये।''

सिग्मा मोल्ड एण्ड स्टैम्पिंग श्रमिक : '' 149-150 सैक्टर-5, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में 400 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में मारुति सुजुकी वाहनों की सील, वारसल, लॉक तथा छोटे पार्ट्स बनाते हैं। शीट मैटल का काम है, चोटें लगती रहती हैं। पर इधर रक्षाबन्धन के दिन, 29 अगस्त को मैनेजमेन्ट ने 4 मजदूरों को केबल ट्रे पर चढा दिया। इन में शाहिद भी था जो ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में काम करता था। यह शाहिद का काम नहीं था पर साहबों ने जबरन केबल ट्रे पर चढा दिया। तीस फुट ऊपर से शाहिद गिरा। लोहे के एंगल से सिर लगा। ई एस आई अस्पताल ने पार्क अस्पताल रेफर कर दिया। शाहिद को 1 सितम्बर को जा कर होश आया।''

वमानी ओवरसीज कामगार : '' प्लॉट 137 सैक्टर-24, फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री में 1200 मजदूर सुबह 9 से रात 8½ तक रोज काम करते हैं और फिर पुरुष मजदूरों को रात 12½ बजे तक रोक लेते हैं। रविवार को सुबह 9 से साँय 5½ तक काम। महीने में 125 से 150 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान सिंगल रेट से। कैंटीन नहीं है, भोजन करने के लिये स्थान नहीं है, कार्यस्थल पर बैठ कर खाना खाते हैं। रात 8½ बाद रोकते हैं तब 30 रुपये भोजन के लिये देते हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे 600 टेलर पीस रेट पर काम करते हैं और कम्पनी रोल पर 250 सिलाई कारीगरों की तनखा 6200-7000 रुपये। बायर आते हैं तब सफाई बहुत और कम्पनी पढाती है : कहना कि साँय 5½ छूट जाते हैं, रविवार को छुट्टी रहती है, नाइट नहीं लगती।''

वी लोजिस्टिक वरकर : '' ए 31 बी-1 मोहन को-ऑपरेटिव इन्डस्ट्रीयरल एस्टेट, बदरपुर एक्सटेन्शन, दिल्ली स्थित कम्पनी में ड्राइवरों और हैल्परों की ई एस आई नहीं, पी एफ नहीं। दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं देते, हैल्परों की तनखा 7000 और छोटे वाहनों के ड्राइवरों की 8800 रुपये। जो 14 ड्राइवर लॉंग रूट पर चलते हैं उनकी तनखा तो मात्र 3000-3500 रुपये, बड़े साहब कहते हैं कि तुम ऊपर से कमाते हो।''

माइसन मजदूर : '' डी-12/3 ओखला फेज-2, दिल्ली स्थित फैक्ट्री में पीने के पानी की भारी समस्या है। यहाँ ठेकेदार नहीं हैं, सब 150 मजदूर कम्पनी ने स्वयं भर्ती किये हैं पर बहुत-ही कम की ई एस आई व पी एफ हैं। इधर टेलरों ने काम बन्द करके 8 घण्टे के 370 रुपये करवाये हैं पर हैल्परों की तनखा 6000 रुपये ही है। बायर को कम्पनी 12000-16000 रुपये तनखा दिखाती है। महीने में 40-50 घण्टे ओवर टाइम, भुगतान दुगुनी दर की बजाय सिंगल रेट से।''

ब्रिजस्टोन श्रमिक : '' प्लॉट 11 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में 200 स्थाई और ठेकेदारों के जरिये रखे 200 मजदूर 8-8 घण्टे की तीन शिफ्टों में मारुति सुजुकी और होण्डा कारों के रबड़ पार्ट्स बनाते हैं। तापमान 160 डिग्री रहता है, एक मजदूर को तीन मशीनें चलानी पड़ती हैं, दौड़ते रहना पड़ता है, उँगली दब जाती है, कट जाती है। बदबू वाला गर्म काम है और कम्पनी सस्ते मास्क तथा सस्ते दस्ताने देती है। चक्कर आते हैं, मजदूर बेहोश हो जाते हैं। इधर थोड़ी ऊँचाई बढाने से कुछ राहत मिली है। तनखा कम, स्थाई की 8-9 हजार रुपये और अस्थाई की 7000 रुपये। उपस्थिति भत्ता 1200 रुपये है, एक छुट्टी करने पर पूरे 1200 रुपये काट लेते हैं।''

ओसवाल कास्टिंग कामगार : '' 48-49 इन्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री में जून से 2-2, 4-4 कर निकाल रहे हैं और 700 की जगह 300 वरकर ही रह गये हैं। कम्पनी कहती है कि काम कम है, टी वी एस दुपहियों से अब आर्डर कम हैं। यहाँ हीरो, जी ई मोटर, होण्डा के पार्ट्स भी बनते हैं। काम कम बताते हैं पर सब जगह 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट कर दी हैं, बड़ी भट्टियों पर और प्रेशर डाई कास्टिंग में भी। माँ की मृत्यु पर एक मजदूर छुट्टी ले कर गया था। लौटने पर आज लेंगे, कल लेंगे कह कर टरकाते रहे और फिर बोले कि तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि काम कम है। जनवरी-फरवरी में प्रोडक्शन इनसेन्टिव 1500 रुपये बनता था, इधर जुलाई-अगस्त में 300-400 रुपये बना है। फैक्ट्री में कैंटीन नहीं है, एम्बुलैन्स नहीं है और फैक्ट्री में पुलिस वाले बुला कर मैनेजमेन्ट एक-एक करके वरकर को धमकाती है।''

कनिका एक्सपोर्ट वरकर : '' ए-187 ओखला फेज-1, दिल्ली स्थित फैक्ट्री में 1000 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। रविवार को दिन में ही 12 घण्टे काम, शिफ्ट बदलती है इसलिये रात को फैक्ट्री बन्द रहती है। एक भी मजदूर स्थाई नहीं है, सब ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे हैं। स्टाफ में भी अधिकतर को ठेकेदारों के जरिये रखा है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं देते, हैल्पर को 8 घण्टे के 210 रुपये, टेलर को 330 रुपये। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई एस आई व पी एफ 1000 में 200-250 के ही हैं।''

शिवम् ऑटो मजदूर : '' प्लॉट 1 सैक्टर-5, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में एक भी मजदूर स्थाई नहीं है। हीरो ग्रुप की इस फैक्ट्री में दो ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे 100 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में डैन्सो, आई एन एल के लिये बॉश रोटर बनाते हैं। छह महीने में 15 दिन निकाल कर फिर रख लेते हैं और इधर तो तनखा घटा कर रखने लगे हैं – 9200 रुपये ले रहों को 8500, 8200, 7600 रुपये तनखा में रखना। इंजीनियर गाली देते हैं।''

सुरक्षाकर्मी : '' नियम है कि दिल्ली सरकार की संस्थाओं में रिटायर फौजी ही गार्ड लगेंगे और उनकी तनखा 24000 रुपये होगी। इधर ओखला में डी सी टी सेक्युरिटी कम्पनी के 48 गार्डों में आधे ही पूर्व-सैनिक हैं। एक्स-सर्विसमैन गार्ड की तनखा 11,000 रुपये और सिविल वाले गार्ड की तनखा 9000 रुपये है।''

प्रिकोल श्रमिक : '' सैक्टर-4, आई एम टी मानेसर में मुंजाल किरियु के सामने स्थित फैक्ट्री में 20-25 स्थाई मजदूर और चार ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे 4500 मजदूर 12-12 घण्टे की दो और 8-8 घण्टे की तीन शिफ्टों में वाहनों के मीटर, ऑयल पम्प, डैन्सो के लिये पार्ट्स, सोनालिका ट्रैक्टर की बॉडी बनाते हैं। नियम है कि फैक्ट्री में काम करत दस साल हो

(शेष पृष्ठ चार पर)

कहाँ है

हड़ताल करने पर नौकरी से निकाल दिये जाने के बाद मैंने इधर- उधर यह-वह काम किया। फिर मैं गार्ड की नौकरी करने लगा। बहुत सेक्युरिटी कम्पनियाँ हैं जो गार्ड सप्लाई का काम करती हैं। प्रतिदिन 12 घण्टे ड्युटी, साप्ताहिक अवकाश नहीं, महीने के 30-31 दिन ड्युटी करना गार्ड़ों के लिये आम बात है। दिन और रात में 12 घण्टे ड्युटी, रिलीवर नहीं पहुँचे तो 36 घण्टे लगातार ड्युटी। वेतन बहुत कम और नियम-कानून का पहाड़ रहता है गार्ड के सिर पर। जहाँ लगते हैं वहाँ बड़े से बड़ा साहब गार्ड से कहता है कि सब की तलाशी लिया करो, चपरासी से बड़े साहब तक सब नियमों के सम्मुख बराबर हैं, जो माल फैक्ट्री में आये और जो माल फैक्ट्री से जाये उसे चालान में, रजिस्टर में सही-सही दर्ज करना, पूरी ईमानदारी से काम करना। कथनी में क्या-क्या बातें और करनी कैसी-कैसी, जो मैंने गार्ड रहते भुगती हैं उसके कुछ उदाहरण देखिये।

बात जून 2012 की है। गाजियाबाद, गुड़गाँव, पंजाब, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों से प्लास्टिक कोटिंग के लिये माल फैक्ट्री में आता था। क्वालिटी पर ज्यादा जोर देने वाली एक पार्टी का निर्देश था कि उनके माल की कोटिंग एयर कन्डीशन्ड् वातावरण में की जाये। वह पार्टी फैक्ट्री के दौरे पर आ रही थी। ऐसे में आनन-फानन में कम्पनी ने दो ए सी मँगवाये। चालान में दो ए सी दर्ज थे पर फैक्ट्री एक ए सी पहुँचा। गार्ड ने एतराज किया तो इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि एक ए सी बड़े साहब की कोठी में फिट करके आया हूँ। अकाउन्टेन्ट बोला कि दोनों ए सी रजिस्टर में आप दर्ज कर लो। गार्ड ने चालान पर लिख दिया कि एक ए सी प्राप्त नहीं हुआ। बात बड़े साहब तक पहुँची, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को आदेश दिया कि ए सी उनकी कोठी से निकाल लाये। छोटी-छोटी चीज से ले कर बड़े-बड़े सामान का भुगतान कम्पनी चालान पर होता जबकि वे जाती बड़े साहब के घर। फैक्ट्री में सब लोग बड़े साहब को मालिक कहते थे। मालिक हो कर चोरी करता है..... कुछ समय बाद बड़े साहब ने गार्ड से कहा कि कैसी ड्युटी करते हो, फैक्ट्री में चोरी बहुत हो रही है। गार्ड ने कहा कि फैक्ट्री में जगह-जगह कैमरे लगे हैं, देख कर बताइये कि कब चोरी हो रही है और कौन चोरी कर रहा है। बड़े साहब ने सेक्युरिटी कम्पनी को गार्ड बदलने को कहा।

बात दिसम्बर 2012 की है टाइम ऑफिस में गार्ड की ड्युटी थी। सब की हाजरी लगाना और समय दर्ज करना काम था। मैनेजिंग डायरेक्टर की पत्नी का नाम रजिस्टर में था पर वह फैक्ट्री नहीं पहुँची थी, मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे की पत्नी भी ड्युटी के लिये नहीं पहुँची थी। दोनों के नाम के आगे गार्ड ने रजिस्टर में अनुपस्थित लिख दिया। रजिस्टर अन्दर गया तब एच आर वालों ने गार्ड को बुलाया और पूछा तो बता दिया कि वे ड्युटी नहीं पहुँची हैं। इस पर एच आर वाले बोले कि आगे से वह जगह खाली छोड़ दिया करो। फिर एक दिन एच आर मैनेजर 9 बज कर 45 मिनट पर और जनरल मैनेजर 9 बज कर 48 मिनट पर फैक्ट्री पहुँचे। गार्ड ने यह टाइम रजिस्टर में लिख दिये। पहले एच आर मैनेजर ने गार्ड से सवाल-जवाब किये तो बता दिया कि पंचिंग मशीन मँगवा कर देख लीजिये, रजिस्टर में सही समय दर्ज किया है। फिर जनरल मैनेजर ने गार्ड को बुलाया और समझाया कि थोड़ा देख कर टाइम डाला करो तो गार्ड ने कहा कि साहब आपका आदेश है कि नियम सब के लिये बराबर हैं, पालन किया करो, सही-सही पालन किया करो। ड्युटी साढे नौ से है, देरी पर एच आर मैनेजर और जनरल मैनेजर के एक घण्टे के पैसे नियम अनुसार कट गये।

नये वर्ष के लिये नये रजिस्टर और नये कार्ड बनाने के आदेश का पालन करते हुये गार्ड ने 31 दिसम्बर की रात यह काम किया। एच आर वाले बोले कि रजिस्टर गलत बन गये हैं और सवाल-जवाब के लिये बनाने वाले गार्ड को बुलाया। क्या गलत है पूछने पर बोले कि स्टाफ के 126 नाम 125 कैसे हो गये। रजिस्टर में पहला नाम मैनेजिंग डायरेक्टर का, दूसरा नाम मैनेजिंग डायरेक्टर की पत्नी का, तीसरा नाम मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे का, चौथा नाम मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे की पत्नी का..... नये रजिस्टर में मैनेजिंग डायरेक्टर की पत्नी का नाम नहीं था..... गार्ड ने एच आर वालों को बताया कि यह तो कभी ड्युटी आती ही नहीं, इसलिये नाम काट दिया। जनरल मैनेजर ने गार्ड का स्थान बदल दिया, टाइम ऑफिस से डिस्पैच भेज दिया।

तब डिस्पैच में ड्युटी सुबह 8 से रात 8 बजे की थी। एक रोज शिपमेन्ट के लिये 450 कारटन कन्टेनर में लोड होने थे। स्टोर मैनेजर बोला कि माल पूरा हो गया, हस्ताक्षर कर दो गार्ड। एक कारटन में 6-8-12 सिर की सुरक्षा के उपकरण और 5 कारटन कम थे। गार्ड ने गिने, ड्राइवर ने गिने, हैल्पर ने गिने, दो-दो बार गिने पर 450 की जगह 445 ही कारटन थे। गार्ड ने स्टोर मैनेजर से कहा कि 5 कारटन कम हैं, वह पूरे करो तब दस्तखत करूँगा। बात जनरल मैनेजर के पास पहुँची। वो नीचे आये और बोले कि अरजेन्ट है, माल पूरा है, जाने दो लेकिन माल कम है कह कर गार्ड ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बात मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुँची और बड़े साहब स्वयं नीचे आये, बोले शिपमेन्ट के लिये है, माल अरजेन्ट है, गार्ड को सन्तुष्ट करो, डिब्बे दुबारा गिनो। गार्ड द्वारा यह बताने पर कि 5 डिब्बे कम हैं, बड़े साहब ने पूछा कि कितना पढे हो, गिनना आता है क्या। सरकारी स्कूल में दसवीं तक पढा हूँ और वहाँ पाँचवी तक गिनती ही सिखाते हैं। इस पर बड़े साहब बोले कि सही मिले तो इनाम मिलेगा और गलत निकले तो तनखा से पैसे काटेंगे। गिनती में 450 की जगह फिर 445 ही निकले..... रात के 8 बज चुके थे, दूसरा गार्ड ड्युटी के लिये पहुँच चुका था। जस का तस छोड़ कर गार्ड फैक्ट्री से निकला। अगले रोज मैनेजिंग डायरेक्टर ने गार्ड को दफ्तर बुलाया। तमतमाये साहब ने कहा कि गड़बड़ी थी तो मुझे क्यों नही बताया ? गार्ड ने जब कहा कि साहब आपको बताया था तो वह चिल्ला कर बोले कि झूठ बोलते हो. ..... ऐसी झूठ मैंने देखी-सुनी नहीं थी। सेक्युरिटी कम्पनी का ठेका खत्म कर दिया, गार्ड की वहाँ ड्युटी समाप्त हुई। बड़े साहब को फैक्ट्री में सब लोग मालिक कहते थे।

निमंत्रण

सितम्बर में 27 तारीख वाले रविवार को मिलेंगे। सुबह 10 से देर साँय तक अपनी सुविधा अनुसार आप आ सकते हैं। फरीदाबाद में बाटा चौक से थर्मल पावर हाउस होते हुए रास्ता है। ऑटोपिन झुग्गियाँ पाँच-सात मिनट की पैदल दूरी पर हैं।

Ph. 0129-6567014
E-mail < majdoorsamachartalmel@gmail.com >
E-mail < baatein1@yahoo.co.uk >

- *अपने अनुभव व विचार मजदूर समाचार में छपवा कर चर्चाओं को और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।*
- *बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दें ।*
- *महीने में एक बार छापते हैं, 13,000 प्रतियाँ निशुल्क बाँटने का प्रयास करते हैं। चर्चाओं के लिए समय निकालें।*

कुछ मोटी बातें

कम्पनियों के बही-खाते, कम्पनियों की बैलैन्सशीटें जो आसानी से उपलब्ध हैं उन में से कई की जाँच-परख सहज ही कुछ बातें उभारती है।

स्त्री मजदूर हो चाहे पुरुष मजदूर, फैक्ट्री में एक महीने काम के दौरान बीस लाख रुपये के बराबर औसतन एक मजदूर का उत्पादन रहता है।

दिल्ली के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों में काम करते मजदूरों की तनखा पाँच हजार से पचास हजार रुपये है। प्रतिशत में बात करें तो, अधिकतर मजदूरों को जो वे पैदा करते हैं उसका एक फीसदी भी नहीं मिलता, एक परसैन्ट का चौथाई से आधा भाग मिलता है। जिन फैक्ट्री मजदूरों को चालीस-पचास-साठ हजार रुपये वेतन मिलता है उन्हें भी जो वे पैदा करते हैं उसका दो-ढाई प्रतिशत ही मिलता है।

फैक्ट्रियों में मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा सरकारें टैक्सों के रूप में लेती हैं। सरकारें जो लेती हैं उसका अच्छा-खासा हिस्सा पुलिस, फौज, जेल, न्यायालय, शासन-प्रशासन पर खर्च होता है। टैक्सों द्वारा एकत्र किये पैसों में से एक हिस्सा सड़क, विद्यालय, अस्पताल पर खर्च किया जाता है। टैक्सों द्वारा वसूले धन का एक अंश सरकारें यह-वह कम कीमत पर देने में व्यय करती हैं। नेता और अफसर वह होते हैं जो एक सौ रुपये ले कर पाँच रुपये लौटाते हैं और कहते हैं कि हम ने तुम्हें पाँच रुपये दिये हैं।

कम्पनी-फैक्ट्री की स्थापना-संचालन के लिये जो लागत आती है उसका अस्सी प्रतिशत बैंक-बीमा-वित्त संस्थाओं से कर्ज के रूप में आता है। जमीन, बिल्डिंग, मशीनें गिरवी रखी होती हैं। फैक्ट्रियों में मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका दस-पन्द्रह प्रतिशत कर्ज पर ब्याज चुकाने में खपता है। जमा पर बैंक पाँच-सात प्रतिशत ब्याज देते हैं और कर्ज पर बैंक पन्द्रह-बीस प्रतिशत ब्याज लेते हैं।

कम्पनी-फैक्ट्री की स्थापना-संचालन की लागत का पन्द्रह प्रतिशत लाखों शेयरों के जरिये एकत्र किया जाता है। कुछ संस्थाओं के पास थोक में और हजारों लोगों के पास फुटकर में यह शेयर होते हैं। फैक्ट्रियों में मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका आठ-दस प्रतिशत हिस्सा शेयरों पर डिविडेन्ड देने में जाते हैं। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री चलती रहती है। एक रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये के शेयर का भाव 80 रुपये, 400 रुपये, 900 रुपये और जब-तब शून्य के दायरे में। मारुति सुजुकी कम्पनी के पाँच रुपये के एक शेयर पर 2010 वर्ष में 79 रुपये 20 पैसे डिविडेन्ड में दिये गये।

फैक्ट्रियों में मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका पाँच-सात प्रतिशत हिस्सा कम्पनी के विस्तार में खर्च होता है। एक फैक्ट्री से तीन फैक्ट्री, पाँच फैक्ट्री, सात फैक्ट्री बनती हैं।

कर्ज देने वाले, शेयर होल्डर, और सरकार कम्पनी-फैक्ट्री के संचालन के लिये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करते हैं। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संचालन की जिम्मेदारी सौंपता है चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर-एग्जेक्युटिव डायरेक्टर-सी ई ओ-प्रेसीडेन्ट-वाइस प्रेसीडेन्ट को। मैनेजिंग डायरेक्टर-प्रेसीडेन्ट कम्पनी-फैक्ट्री के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी जनरल मैनेजर-मैनेजर-सुपरवाइजर को सौंपते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सुपरवाइजर तक को मिला कर मैनेजमेन्ट बनती है। फैक्ट्रियों में मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका दो-तीन प्रतिशत मैनेजमेन्ट के वेतन-भत्तों में खर्च होता है। और, फैक्ट्रियों में मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका दस-पन्द्रह प्रतिशत मैनेजमेन्ट के लोग चोरी से लेते हैं। कम्पनी से मैनेजमेन्ट चोरी करती है – नीचे से ऊपर जाते समय चोरी बढती जाती है, सबसे अधिक चोरी चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर-सी ई ओ करते हैं।■

असंगत बन गये है

(पृष्ठ दो का शेष)

जायेंगे तब स्थाई कर देंगे पर दस साल होने ही नहीं देते हैं। हैल्परों की, ऑपरेटरों की तनखा 6500 रुपये और ओवर टाइम 32 रुपये प्रतिघण्टा। हाजिरी तीन जगह लगती है पर नौकरी छोड़ने पर दस-बीस दिन के पैसे नहीं देते और एच आर वाले कहते हैं ठेकेदार से बात करो।''

वैल्ड पाइन्ट कामगार : ''एक्स-13 ओखला फेज-2, दिल्ली स्थित फैक्ट्री में 15 स्थाई और 25 कैजुअल वरकर हैं। ई एस आई व पी एफ सब के हैं। कैजुअलों का 6 महीने में ब्रेक कर देते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन हैल्परों को देते हैं।''

विनय ऑटो वरकर : '' प्लॉट 43 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में 10 स्थाई मजदूर और सात ठेकेदार कम्पनियों के जरिये रखे 1500 मजदूर सुबह 9 से साँय साढे सात, रात 9, रात 2 बजे तक 9 लाइनों पर काम करते हैं। मोल्डिंग विभाग में रात में भी काम। लाइनों के नाम हैं : जे एन एस लाइन, ब्राजील लाइन, जय उशिन लाइन, डैन्सो लाइन, प्रिकोल लाइन, सुमन ऑटो लाइन, डोंगियोन लाइन, भगवती ऑटो लाइन, मिन्डा लाइन। हैल्पर, ऑपरेटर, आई टी आई सब की तनखा 5813 रुपये, ओवर टाइम 23 रुपये प्रतिघण्टा। गुटका पर 100 रुपये और मोबाईल पर 200 रुपये जुर्माना। तनखा 7 से 20 तारीख तक। तनखा में देरी पर ज्यादा मजदूर एच आर विभाग जाते हैं तो झूठा आश्वासन और कम मजदूर गये तो भगा देते हैं। छोड़ने पर कारण लिखो, ठेकेदार के, एच आर अधिकारी के, लाइन सुपरवाइजर के हस्ताक्षर करवाओ तब हिसाब मिलेगा। तीनों दस्तखत करते नहीं, ऐसे में छोड़ने पर या तो तनखा मारी जाती है या ओवर टाइम मारा जाता है। तीन ठेकेदार कम्पनियाँ पे-स्लिप देती हैं पर चार नहीं देती और इन चार ठेकेदार कम्पनियों के मजदूरों को ई एस आई कार्ड नहीं तथा नौकरी छोड़ने पर फण्ड के पैसे नहीं मिलते। दीपावली से 10-15 दिन पहले आधे मजदूरों को निकाल देते हैं और दीवाली बाद न्यू ज्वाइनिंग। बोनस में मात्र 500 रुपये देते हैं।''

रादनिक एक्सपोर्ट मजदूर : '' बी-22 ओखला फेज-2, दिल्ली स्थित फैक्ट्री में काम करते 400 मजदूरों ने अक्टूबर 2014 में फैक्ट्री के अन्दर ही मीटिंग की और 5-6 वर्ष से काम कर रहों को हिसाब देने अथवा स्थाई करने की बात रखी। कम्पनी ने दो महीने का समय माँगा। सब मजदूरों की ई एस आई तथा पी एफ 1 दिसम्बर 2014 से काटनी आरम्भ की। पहले का तो कुछ दिया ही नहीं, ठेकेदार का नाम गुप्त था, पर इधर दिसम्बर से अगस्त आ गया है और पी एफ नम्बर कम्पनी ने किसी मजदूर को नहीं बताया है।''

हाईटेक गियर श्रमिक : '' सैक्टर-7, आई एम टी मानेसर में पानी की टंकी के पास स्थित फैक्ट्री में 400 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में होण्डा व हीरो दुपहियों और मारुति सुजुकी कारों के पार्ट्स बनाते हैं। सप्ताह में शिफ्ट बदलती है तब रात की शिफ्ट वालों को 24 घण्टे काम करना पड़ता है। महीने में 120 से 150 घण्टे ओवर टाइम और भुगतान मात्र 18-20-25 रुपये प्रति घण्टा। बीमार होने पर भी गेट पास नहीं देते। पेमेन्ट में 500 से 1000 रुपये की गड़बड़ी कर देते हैं।''

सोपान ओवरसीज कामगार : '' बी-314 ओखला फेज-1, दिल्ली स्थित फैक्ट्री में 300 मजदूरों की सुबह 9 से रात 9 की ड्युटी है और रात दो बजे तक रोक लेते हैं। रविवार को भी सुबह 9 से रात 9 तक काम करना। साप्ताहिक अवकाश नहीं। कम्पनी 12 घण्टे प्रतिदिन और महीने के 30-31 दिन काम को सामान्य कार्य लेती है। इस दौरान के लिये कोई ओवर टाइम नहीं। जब 12 घण्टे बाद रोकते हैं तब उसे ओवर टाइम कहते हैं और ऐसा समय भी महीने में 50-60 घण्टे हो जाता है – इनके लिये भी मात्र 17,18, 20 रुपये प्रतिघण्टा भुगतान। हैल्परों को 12 घण्टे रोज पर 30-31 दिन के 8500-9500 रुपये और आल्टर टेलर को 9500-10000 रुपये। प्रोडक्शन टेलर पीस रेट पर। ई एस आई व पी एफ 100 की ही हैं।''

थीटा वरकर : '' 17 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं, तनखा 5000 रुपये .....''

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए रौनिजा प्रिन्टर्स फरीदाबाद से मुद्रित किया।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73/15-17

सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–551 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।